

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून:दिनांक 25 अप्रैल, 2013

विषय:- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को पुनरीक्षण कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक गजट नोटिफिकेशन संख्या- 177 / XXVII(6) / 2013 दिनांक 22 मार्च, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(100 प्रतियाँ)

भवदीय,


(कुँवर सिंह)

अपर सचिव।

संख्या- 240 (1) / XXVII (6) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उपनिबंधक / सहायक निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।